न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00337 **दायरा दिनांक : 19.12.2018**

उनवान

रामदयाल पुत्र जगन्नाथ आयु 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0
.... अपीलांट

बनाम

1– बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भंवानीशंकर, जाति मीणा (मृतक)
1/1– कमलराज पुत्र भवानीशंकर
1/2– सुरेश कुमार पुत्र भवानीशंकर
1/3– हरिओम पुत्र भवानीशंकर
1/4– छोटूलाल पुत्र भवानीशंकर, निवासीगण कंवल्दा, तहसील पीपल्दा हाल बालापुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
1/5– संतोष पुत्री भवानीशंकर पत्नी जगदीश प्रसाद, जाति मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ल ख्यावदा, कोटा
1/6– फोरन्ता पुत्री भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी अयानी, कोटा
2– रामकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0
3– बाबूलाल पुत्र रामनारायण
4– हरिशंकर पुत्र रामनारायण
5– भंवानीशंकर पुत्र रामनारायण
6– कन्हैयालाल पुत्र रामनारायण
जतियान मीणा, निवासीगण कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0
7– गंगाबाई बेवा रामनारायण, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0
8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 से 1/6 की ओर से शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 05.06.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 82/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादनी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माल बमोरी, तहसील मांगरोल के खाता संख्या 150 नया 141 पुराना में खसरा नं. 538 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 544 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा आराजी वाके ग्राम माल बमोरी, तहसील मांगरोल खातेदारान रामचन्द्र, रामनारायण, रामकिशन, रामदयाल पुत्रान जगन्नाथ, जातियान मीणा के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2018 से वाद वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया कि प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम माल बमोरी, तह० मांगरोल में दर्ज आराजी कुल किता 4 रकबा 5.82 है0 के खातेदार रामदयाल का हिस्सा 1/2 को खारिज किया जाकर 1/4 हिस्से की खातेदार वादनी बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भवानीशंकर मीणा को घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्से का खातेदार रामदयाल को घोषित किया जाता है शेष खातेदारान यथावत रहेंगे। यह भी आदेश दिया जाता है कि इं० नं0 315 में दर्ज साबिक खसरा नं0 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 12 बीघा 12 बिस्वा जिसके ग्राम माल बमोरी के हाल खसरा नं0 435 रकबा 2.25 है0 में से 1.52 है0 व खसरा नं0 447 रकबा 0.49 है० से प्रतिवादी कम 1 रामदयाल को बेदखल करके कब्जा वादनी बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भवानीशंकर मीणा को सम्भलाया जावें। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 रामदयाल भी पारित की जाती है कि प्रतिवादी कम 1 रामदयाल, वादनी बद्रीबाई के कब्जे

काश्त की आराजी खसरा नं0 435 रकबा 1.52 है० व खसरा नं0 447 रकबा 0.49 है० वाके ग्राम माल बमोरी में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का कानून अनुसार विवेचन नहीं करने से भारी भूल की है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने व विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे हक घोषणा बाबत वाद किया गया था जिसमें अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी खसरा नं० 538 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं० 542 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा रामचन्द्र के खाते दर्ज थी उक्त आराजी को रामचन्द्र अपने जीवनकाल में स्वयं काश्त करता था। उनकी वृदावस्था होने पर रामचन्द्र अपने भाई रामदयाल अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 के पास आकर रहने लग गये थे तथा अपने जीवनकाल में ही उन्होंने काश्त व्यवस्था का पूरा जिम्मा अपीलांट को दे दिया था। रामचन्द्रजी द्वारा अपने हिस्से की आराजी को वसीयत दिनांक 05.12.1982 को अपीलांट के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही करवा दी थी अपीलांट द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर रामचन्द्र की मृत्यु होने पर अपने पक्ष में इंतकाल खुलवाया। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा उक्त इंतकाल नं० 315 की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां के यहाँ की थी जिसका निर्णय दिनांक 31.07.1997 को इंतकाल नं0 315 वैध मानते हुये अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया था ततपश्चात रेस्पो० क्रम 1 द्वारा एक दावा धारा 188 आर. टी. एक्ट प्रस्तुत किया था जो रेस्पो० क्रम 1 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था जिसमें कब्जा अपीलांट का माना गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी पहलुओं पर कोई गौर न कर विधि विरुद्ध मनमाना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात दिनांक 24.10.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया ना ही रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन करने का अवसर प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलांट का जवाब प्रस्तुत होने के बावजूद एक पक्षीय आदेश अपीलांट के विरुद्ध पारित कर तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर न देकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल का निर्णय दिनांक 12.11.2018 प्र० सं० 82/2010 निरस्त कराया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित फरावे के आदेश करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट क्रम 1/1 लबायत 1/6 की मॉ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 24.10.2018 को मुझ अपीलांट/प्रतिवादी को सुने बिना ही एक्स पार्टी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.06.2016 को पत्रावली साक्ष्य वादी में थी तथा दिनांक दिनांक 24.10.2018 को पत्रावली मेरे विरुद्व एक्स पार्टी कर दी और दिनांक 05.11.2018 को वादीगण की साक्ष्य बंद कर जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया साक्ष्य वादी में 2 वर्ष अवसर दिये गये जबकि प्रतिवादी को 1 बार में ही एक्स पार्टी कर दिया। अतः मेरिट पर निर्णय किये जाने हेतू साक्ष्य, जिरह हेतू अवसर दिया जाने हेतू अपील को रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट की प्रथम आपत्ति ही गलत थी केवल धारा 53 की ही रिलिफ नहीं चाहकर हम तो बेदखल करवाना चाहते थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया वह उचित है। यदि कोई वसीयत अपीलांट पेश करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम सिविल न्यायालय से वसीयत को सिद्व करवाया जाना था। यदि बद्रीबाई को मीणा होने के कारण जमीन नहीं मिली तो चारों भाईयों को तो मिलनी चाहिये थी। अतः पत्रावली को रिमाण्ड नहीं किया जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने अभिभाषक रेस्पोडेंट की बहस का खण्डन करते हुये कथन किया कि दिनांक 24.12.2018 को पुनः संशोधित दावा निर्णित किया गया लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिये गये। अपील को रिमाण्ड किया जावें ताकि मेरिट पर निर्णय हो सके।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट क्षरा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिये जाने का कथन किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण 82/2010 बद्रीलाल बनाम रामदयाल की आदेशिका का अवलोकन किया गया। अपीलांट का दौराने बहस मुख्य तर्क रहा कि साक्ष्य वादी में अनेक अवसर दिये गये जबकि प्रतिवादी को एक बार में ही एक्स पार्टी कर दिया। आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को जबाब हेतु दिनांक 24.01.2014 से 15.02.2016 तक अवसर दिये गये। जो हमारी राय में पर्याप्त अवसर है। तत्पश्चात् साक्ष्यवादी में पत्रावली नियत थी अपीलांट/प्रतिवादीगण को दिनांक 24.10.2018 को स्वंय तथा अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी को को स्वंय तथा अभिभाषक के माध्यम से एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जिसके लिये दिनांक 12.11.2018 तक का समय भी प्रतिवादी को मिला लेकिन एक्स पार्टी सेट असाईड का कोई प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं किया गया।

अतः उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई हेतु पयाप्त अवसर दिये गये तथा एक्स पार्टी सेट असाईड का प्रार्थना पत्र भी अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दिया गया। अतः अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्व करने में असमर्थ रहने के कारण हम अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/06/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रामदयाल पुत्र जगन्नाथ आयु 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0

.... अपीलांट्स

बनाम

1– बद्रीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी भंवानीशंकर, जाति मीणा (मृतक)

1/1– कमलराज पुत्र भवानीशंकर

1/2– सुरेश कुमार पुत्र भवानीशंकर

1/3– हरिओम पुत्र भवानीशंकर

1/4– छोटूलाल पुत्र भवानीशंकर, निवासीगण कंवल्दा, तहसील पीपल्दा हाल बालापुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/5– संतोष पुत्री भवानीशंकर पत्नी जगदीश प्रसाद, जाति मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ल ख्यावदा, कोटा

1/6– फोरन्ता पुत्री भवानीशंकर, जाति मीणा, निवासी अयानी, कोटा

2– रामकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0

3– बाबूलाल पुत्र रामनारायण

4– हरिशंकर पुत्र रामनारायण

5– भंवानीशंकर पुत्र रामनारायण

6– कन्हैयालाल पुत्र रामनारायण जतियान मीणा, निवासीगण कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0

7– गंगाबाई बेवा रामनारायण, जाति मीणा, निवासी कंवल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2018/00337**
मु.द.नं0 **82/2010**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी ,मांगरोल
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.11.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **08 माह 05** सन् **2024**

श्री **ओम भारद्वाज** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **कृष्णकांत शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1 से 1/6 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित
।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **05 माह 06 सन् 2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर